भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. †2035
31 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए

पश्चिम बंगाल में ऑपरेशन ग्रीन्स योजना

†2035. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेषकर टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) की फसलों की आपूर्ति और मूल्यों में स्थायित्व के उद्देश्य से दीर्घ-कालिक हस्तेक्षेपों पर आधारित ऑपरेशन ग्रीन्स स्कीम के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति पश्चिम बंगाल में क्या है;

(ख) पश्चिम बंगाल में आलू किसानों को लाभान्वित करने के लिए इसके अंतर्गत क्या विशिष्ट उपाय किए गए हैं, जिनमें किसान उत्पाद संगठनों (एफपीओ) की स्थापना, कृषि-लॉजिस्टिक का विकास और प्रसंस्करण सुविधाओं का सृजन शामिल है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत पश्चिम बंगाल को इसकी शुरूआत से अब तक कुल कितनी धनराशि आवंटित और वितरित की गई है; और

(घ) पश्चिम बंगाल में इस योजना के कार्यान्वयन में, विशेषकर बुनियादी ढांचे के विकास, किसानों की भागीदारी और निधियों के उपयोग से संबंधित, क्या चुनौतियाँ हैं और इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) से (घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) देश भर में 2017-18 से "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना लागू कर रहा है। यह योजना मांग आधारित है और इस योजना के तहत प्रस्ताव अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आमंत्रित किए जाते हैं। पीएमकेएसवाई योजना के ऑपरेशन ग्रीन्स घटक के तहत, मंत्रालय पहचाने गए उत्पादन समूहों में 10 फल फसलों, 11 सब्जी फसलों और झींगा के मूल्य श्रृंखला विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इन फसलों के उत्पादन समूहों की पहचान संबंधित राज्यों के बागवानी विभागों के परामर्श से कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए बागवानी उत्पादन आंकड़ों के आधार पर की जाती है। मानदंडों के आधार पर, मंत्रालय ने पहले ही पश्चिम बंगाल की अनानास, टमाटर, आलू, बीन्स, लौकी, गाजर, फूलगोभी, भिंडी और अदरक की फसलों के लिए उत्पादन क्लस्टर के रूप में पहचान की है । पहचाने गए उत्पादन समूहों में इन फसलों के लिए कृषि-लॉजिस्टिक्स के विकास के लिए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) सहित इच्छुक कंपनियां समय-समय पर मंत्रालय द्वारा जारी ईओआई के तहत अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती हैं।

अब तक ऑपरेशन ग्रीन्स की दीर्घकालिक हस्तक्षेप योजना के तहत मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी है।

*****